NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 29-07-2025

विषय सूची

» भारत में झुग्गी बस्तियों की संख्या सर्वाधिक
» राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाँच वर्ष
» भारत-जापान अधिकारियों द्वारा प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा
» आईटी सेवा उद्योग में छंटनी

संक्षिप्त समाचार

» मेवाड़ के भीलों की गवरी उत्सव
» पैठणी साड़ियाँ
» माजुली द्वीप
» नून नदी
» मेरा गांव मेरा धरोहर कार्यक्रम
» संशोधित शक्ति नीति 2025
» भारत का प्रथम पीपीपी हवाई अड्डा भविष्य की योजनाओं पर आधारित
» काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में घास के मैदानों में पक्षियों की गणना
» पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025
» ऑपरेशन महादेव
» FIDE महिला विश्व कप 2025
» सुनहरे सियार

भारत में झुग्गी बस्तियों की संख्या सर्वाधिक

समाचार में

- 2024 के एक अध्ययन के अनुसार, दक्षिण एशिया में बाढ़ के मैदानों में स्थित झुग्गियों में 158 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं, जिनमें भारत का हिस्सा सबसे अधिक है।
  - भारत में लगभग 40% झुग्गी-झोपड़ियाँ शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में रहती हैं।

मलिन बस्तियों का विकास

- मलिन बस्तियाँ सघन जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र हैं जिनकी विशेषता खराब गुणवत्ता वाले आवास, पर्याप्त रहने की जगह, सार्वजनिक सेवाओं का अभाव एवं असुरक्षित भूमि स्वामित्व वाले बड़ी संख्या में अनौपचारिक निवासियों का आवास है।
- यूएन-हैबिटेट (2021) के अनुसार, विश्व भर में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या 2010 में 980 मिलियन से बढ़कर 2020 में 1,059 मिलियन हो गई है, जो विश्व की शहरी जनसंख्या का 24.2% है।
- 2020 में भारत की झुग्गी-झोपड़ियों की जनसंख्या 236 मिलियन होने का अनुमान है, जो दर्शाता है कि इसकी लगभग आधी शहरी जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है (यूएन-हैबिटेट 2021)।

मलिन बस्तियों को बढ़ावा देने वाले कारक

- **तीव्र शहरीकरण:** आजीविका और बेहतर अवसरों की खोज में बड़े पैमाने पर ग्रामीण-से-शहरी प्रवास अनियोजित बस्तियों में वृद्धि करता है।
- **किफायती आवास का अभाव:** कम लागत वाले आवासों की कमी गरीब प्रवासियों को अनौपचारिक मलिन बस्तियों में निवास करने के लिए मजबूर करती है।
- **गरीबी और बेरोजगारी:** आर्थिक असुरक्षा औपचारिक आवास बाजारों तक पहुँच को रोकती है।
- **भूमि की कमी और भूमि की ऊँची कीमतें:** शहरी भूमि की कमी और महँगी कीमतें गरीबों के लिए आवास की उपलब्धता को सीमित करती हैं।
- **अपर्याप्त शहरी नियोजन और शासन:** खराब बुनियादी ढाँचा, औपचारिक पट्टे का अभाव और कमजोर नगरपालिका सेवाएँ अनौपचारिक बस्तियों को बढ़ावा देती हैं।
- **सामाजिक बहिष्कार:** हाशिए पर रहने वाले समूहों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके लिए अच्छे आवास तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **पर्यावरणीय कारक:** कम लागत वाली भूमि की उपलब्धता के कारण प्रायः बाढ़ के मैदानों (जैसे, गंगा डेल्टा) जैसे जोखिम-प्रवण क्षेत्रों में मलिन बस्तियाँ विकसित होती हैं।

प्रभाव और चिंताएँ

- **स्वास्थ्य और स्वच्छता जोखिम:** भीड़भाड़, खराब स्वच्छता और स्वच्छ जल की कमी जन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है।
- **आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता:** झुग्गी-झोपड़ियाँ बाढ़, लू और अन्य जलवायु-संबंधी आपदाओं से असमान रूप से प्रभावित होती हैं।
- **सामाजिक चुनौतियाँ:** झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को असुरक्षित भूमि-पट्टा, सामाजिक कलंक, खराब शिक्षा और सेवाओं तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ता है।
- **पर्यावरणीय क्षरण:** अपशिष्ट संचय और हरित क्षेत्र की कमी शहरी पर्यावरण को खराब करती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल कम व्यावसायिक व्यवहार्यता और नियामक बाधाओं के कारण डेवलपर्स को आकर्षित करने में विफल रहे हैं।

आगे की राह / समाधान

- **समग्र झुग्गी-झोपड़ियों का पुनर्वास:** आवास, बुनियादी ढाँचे, आजीविका और सामाजिक सेवाओं को सामुदायिक सहभागिता के साथ एकीकृत करें।
- **कानूनी और संस्थागत स्पष्टता:** भूमि अधिकारों, भूमि-पट्टा सुरक्षा को सुव्यवस्थित करें और झुग्गी-झोपड़ियों के उन्नयन के लिए स्पष्ट ढाँचे का उपयोग करें।

- **नवोन्मेषी वित्तपोषण:** पुनर्विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी , हस्तांतरणीय विकास अधिकार और सूक्ष्म-वित्तपोषण का उपयोग करें।
- **समावेशी शहरी नियोजन:** झुग्गी-झोपड़ी समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता का सम्मान करते हुए स्थानीय मॉडलों को अपनाएँ।
- **विकेन्द्रीकृत अवसंरचना:** झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के लिए अनुकूलित लागत-प्रभावी स्वच्छता, जल और ऊर्जा की विकेन्द्रीकृत प्रणालियाँ।
- **सामुदायिक भागीदारी:** स्वीकृति और सांस्कृतिक उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए योजना और कार्यान्वयन में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को शामिल करें।

Source: TH

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाँच वर्ष

समाचार

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अपनाए जाने के पाँच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् प्रथम व्यापक शिक्षा नीति है।

एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं

- **संरचनात्मक सुधार:** 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदलाव—जो आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों में 3-18 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करेगी।
  - **आधारभूत साक्षरता और अंकगणित:** कक्षा 3 तक सभी बच्चों के लिए निपुण भारत जैसी पहलों के माध्यम से बुनियादी पठन और अंकगणित कौशल पर बल।
- **मातृभाषा और बहुभाषावाद:** कम से कम कक्षा 5 तक (अधिमानतः कक्षा 8 तक) मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देता है; त्रि-भाषा सूत्र को आगे बढ़ाता है।
- **समग्र और बहु-विषयक शिक्षा:** उच्च शिक्षा में बहु-प्रवेश/निकास विकल्प; विभिन्न धाराओं में लचीले विषय विकल्प।
- **व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा:** प्रारंभिक चरण से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इंटर्नशिप का एकीकरण, 2025 तक कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** समावेशी और व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा संरचना (एनडीईएआर), दीक्षा और पीएम ई-विद्या।
- **उच्च शिक्षा सुधार:** बहु-विषयक संस्थानों, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में वृद्धि पर बल।
- **सार्वभौमिक पहुँच और जीईआर लक्ष्य:** 2030 तक सार्वभौमिक स्कूल पहुँच; 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 50% तक।

उपलब्धियाँ और प्रभाव

- **स्कूल शिक्षा:** 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 6,400 से अधिक पीएम श्री स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में उन्नत किया गया।
- **निपुण भारत ने आधारभूत शिक्षण परिणामों में सुधार किया है, 2024 में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है:** 2024 में कक्षा तीन के 23.4% छात्र कक्षा दो की पाठ्यपुस्तकें पढ़ सकते थे, जो 2022 में 16.3% थी।
  - दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म ने 5 अरब शिक्षण सत्रों को पार कर लिया है।
- **उच्च शिक्षा:** एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) पोर्टल ने 1,667 संस्थानों को अपने साथ जोड़ा है और 32 करोड़ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आईडी बनाई गई हैं।
  - बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) का शुभारंभ।
- **समानता, पहुँच और समावेशन:** स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और लड़कियों व वंचित समूहों की भागीदारी में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं।

- उच्च शिक्षा में नामांकन उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 4.46 करोड़ छात्रों तक पहुँच गया है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम और पूर्वोत्तर (एनई) के छात्रों के नामांकन में 36-75% तक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

चुनौतियाँ

- **केंद्र-राज्य संघीय तनाव:** तमिलनाडु और केरल ने भाषाई थोपे जाने का उदाहरण देते हुए त्रि-भाषा सूत्र को अस्वीकार कर दिया।
  - केंद्रीकरण की आशंकाओं के कारण पीएम श्री स्कूल जैसी योजनाओं का विरोध।
- **संसाधनों की कमी:** बुनियादी ढाँचे, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल पहुँच के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश की आवश्यकता है।
- **डिजिटल विभाजन:** इंटरनेट/डिवाइस पहुँच में असमानताएँ सामाजिक-आर्थिक अंतर को बढ़ा सकती हैं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली जनसंख्या के बीच।
- **भाषा नीति:** व्यापक मातृभाषा/स्थानीय भाषा माध्यमों की व्यावहारिकता पर चिंताएँ, विशेष रूप से विविध भाषाई परिवेशों और उच्च शिक्षा के लिए।
- **निजीकरण और समानता:** आशंका है कि बढ़ते निजीकरण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सामर्थ्य और समान पहुँच बाधित हो सकती है।

आगे की राह

- **केंद्र-राज्य समन्वय को सुदृढ़ करें:** एनईपी को स्थानीय बनाने के लिए राज्यों के साथ प्रासंगिक समझौता ज्ञापन बनाएँ। क्षमता निर्माण के लिए राज्य-स्तरीय संसाधन समूह बनाएँ।
- **कार्यान्वयन अंतराल ka समापन:** त्वरित क्षमता निर्माण, राज्य समर्थन और प्रगति की नियमित समीक्षा महत्वपूर्ण हैं।
- **डिजिटल और भौतिक अवसंरचना:** उपकरणों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्कूल अवसंरचना में निवेश जारी रहना चाहिए।
- **समावेशी शिक्षाशास्त्र और पाठ्यक्रम:** क्षेत्रीय आवश्यकताओं और भाषाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए; एसईडीजी एवं समावेशी रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

Source: PIB

भारत-जापान अधिकारियों द्वारा प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा

समाचार में

- भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जापानी मंत्री से भेंट कर द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने तथा अहमदाबाद-मुंबई शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सहित प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की।

ऐतिहासिक

- भारत और जापान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर आधारित एक गहरी विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं।
- ऐतिहासिक संबंधों में 752 ईस्वी में जापान के तोडाजी मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा में भारतीय भिक्षु बोधिसेना की भूमिका शामिल है।
- जापान से जुड़े प्रमुख भारतीयों में स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, जेआरडी टाटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और न्यायमूर्ति राधा विनोद पाल शामिल हैं।
- 1949 में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर को हाथी दान करने जैसे प्रतीकात्मक कार्य स्थायी मित्रता को दर्शाते हैं।

रक्षा सहयोग

- भारत-जापान रक्षा और सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक अभिन्न स्तंभ है।
- हाल के वर्षों में रणनीतिक मामलों पर बढ़ते अभिसरण के कारण भारत-जापान रक्षा आदान-प्रदान को बल मिला है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता के मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण से इसका महत्व बढ़ रहा है।

- भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा (JDSC) पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- JIMEX भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल (JMSDF) के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

- भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी (CEPA) समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी हुआ।
  - यह समझौता न केवल वस्तुओं के व्यापार, बल्कि सेवाओं, व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य व्यापार संबंधी मुद्दों को भी कवर करता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत के साथ जापान का द्विपक्षीय व्यापार कुल 22.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - इस अवधि के दौरान जापान से भारत को निर्यात 17.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 5.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - आज, भारत जापान के कुल व्यापार में 1.4% हिस्सेदारी के साथ 18वें स्थान पर है, जबकि जापान भारत के कुल व्यापार में 2.1% हिस्सेदारी के साथ 17वें स्थान पर है।
- जापान को भारत के मुख्य निर्यात में कार्बनिक रसायन, वाहन (रेलवे और ट्राम के अतिरिक्त), परमाणु रिएक्टर, एल्युमीनियम और उससे बनी वस्तुएँ, मछली एवं अन्य जलीय अकशेरुकी शामिल हैं।
- जापान से भारत के मुख्य आयात में परमाणु रिएक्टर, तांबा और उससे बनी वस्तुएँ, विद्युत मशीनरी एवं उपकरण, अकार्बनिक रसायन तथा लोहा एवं इस्पात शामिल हैं।

अन्य क्षेत्रों में सहयोग

- भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने अप्रैल 2021 में एक त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया।
- भारत-जापान एक्ट ईस्ट फ़ोरम की स्थापना दिसंबर 2017 में हुई थी और इसका उद्देश्य भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" एवं जापान के "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के दृष्टिकोण" के अंतर्गत भारत-जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है।
  - यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करता है, जैसे कि कनेक्टिविटी, विकासात्मक बुनियादी ढाँचा, औद्योगिक संपर्क और लोगों से लोगों के बीच संपर्क।
- नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

नवीनतम घटनाक्रम

- जापान भारत को दो उन्नत ई-10 शिंकानसेन ट्रेनें देने की योजना बना रहा है।
- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना अब दिसंबर 2029 तक पूरी होने वाली है, जो इसके मूल 2022 के लक्ष्य से विलंबित है।
- दोनों पक्षों ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन के निर्यात प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों का समाधान किया।

Source :TH

आईटी सेवा उद्योग में छंटनी

संदर्भ

- हाल ही में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 12,261 कर्मचारियों - जो इसके वैश्विक कार्यबल का लगभग 2% है - की छंटनी करने की योजना की घोषणा की है।
  - यह अपनी संशोधित बेंच नीति के कारण जांच के दायरे में आ गया है।

बेंच नीति क्या है?

- 'बेंच' उन कर्मचारियों को संदर्भित करता है जिन्हें वर्तमान में सक्रिय, बिल योग्य परियोजनाओं में नियुक्त

नहीं किया गया है, लेकिन वे वेतन पर बने हुए हैं। ये व्यक्ति हो सकते हैं:

- परियोजना आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हों;
- प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों;
- भूमिकाओं के बीच परिवर्तन कर रहे हों।

- प्रमुख आईटी कंपनियों ने ग्राहकों की मांगों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक रूप से एक बड़ी बेंच बनाए रखी है।
- नवजात सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट (एनआईटीईएस) ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से औपचारिक रूप से शिकायत की है, जिसमें इस नीति को 'दबावपूर्ण', 'दंडात्मक' और 'अमानवीय' बताया गया है।

परिवर्तन के पीछे प्रमुख कारण

- **लागत अनुकूलन:** वैश्विक तकनीकी व्यय के दबाव में, कंपनियां ओवरहेड को कम करने के लिए परिचालन को सुव्यवस्थित कर रही हैं।
  - संकट के समय में एक बड़ी बेंच बनाए रखना महंगा और अक्षम होता है।
- **कौशल बेमेल और पुनर्नियोजन चुनौतियाँ:** जैसे-जैसे वितरण मॉडल एआई, क्लाउड और साइबर सुरक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, कई कर्मचारी - विशेष रूप से मध्यम एवं वरिष्ठ पदों पर - नए तकनीक-प्रधान पदों पर जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- **एआई और स्वचालन का प्रभाव:** हालाँकि यह एकमात्र कारण नहीं है, फिर भी एआई रोजगारों की भूमिकाओं को नया रूप दे रहा है। प्रवेश-स्तर के कार्य तेज़ी से स्वचालित हो रहे हैं, जिससे बड़े बेंच पूल की आवश्यकता कम हो रही है।
- **उत्पाद-केंद्रित वितरण मॉडल:** आईटी कंपनियाँ पारंपरिक परियोजना-आधारित स्टाफिंग से हटकर चुस्त, उत्पाद-केंद्रित टीमों की ओर बढ़ रही हैं। इससे बेंच स्ट्रेंथ पर निर्भरता कम होती है और निरंतर कौशल विकास की आवश्यकता होती है।

भारत के आईटी क्षेत्र में छंटनी का कारण क्या है?

- **वितरण मॉडल में परिवर्तन:** कंपनियाँ चुस्त, उत्पाद-केंद्रित मॉडल अपना रही हैं, जिससे पारंपरिक परियोजना प्रबंधकों और पुरानी भूमिकाओं की आवश्यकता कम हो रही है।
  - कौशल का अंतर बढ़ रहा है, विशेषकर मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के बीच, जिन्हें एआई, क्लाउड, साइबर सुरक्षा एवं अन्य उभरती हुई तकनीकों के साथ सामंजस्य बनाने में कठिनाई होती है।
- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता:** अस्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ग्राहकों के कम व्यय के कारण सावधानीपूर्वक नियुक्तियाँ और कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो रही है।
  - निर्यात-संचालित आईटी कंपनियाँ वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति के दबावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
- **कौशल असंतुलन:** शैक्षणिक पाठ्यक्रम और उद्योग की माँगों के बीच, विशेष रूप से एआई और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में, बेमेलता बढ़ती जा रही है।
  - संज्ञानात्मक कठोरता और व्यावहारिक अनुभव की कमी के कारण, वरिष्ठ पेशेवरों को तकनीकी-प्रधान भूमिकाओं के लिए पुनः प्रशिक्षित करने में चुनौतियाँ।

भारत के आईटी क्षेत्र में छंटनी के परिणाम

- **कर्मचारी चिंताएँ:** बढ़ती रोज़गार की असुरक्षा कर्मचारियों के मनोबल और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। सख्त नीतियों के कारण तनाव, अनिश्चितता एवं बर्खास्तगी का भय उत्पन्न हुआ है। इससे बढ़ावा मिलता है:
  - भय और दबाव की संस्कृति;
  - सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक भार;
  - मनोबल में कमी, विशेष रूप से नए और अनावश्यक भूमिकाओं में कार्यरत लोगों के बीच;

- **शिक्षा और करियर की राह पर दबाव:** आईटी क्षेत्र लंबे समय से इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए उन्नति का द्वार रहा है।
  - विशेष रूप से टियर-II और टियर-III कॉलेजों में नियुक्तियों में कमी के साथ, छात्र पारंपरिक तकनीकी करियर की व्यवहार्यता पर प्रश्न कर रहे हैं।
- **आर्थिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ:** छंटनी भारत की अर्थव्यवस्था में गहरे संरचनात्मक मुद्दों को दर्शाती है—जहाँ गुणवत्तापूर्ण रोज़गार विकास के साथ सामंजस्य नहीं रख पाया है।
  - बेंच नीति सुधार बफर कार्यबल को कम कर रहे हैं, जिससे रोज़गार की स्थिरता प्रभावित हो रही है।
  - स्टार्टअप और जीसीसी (वैश्विक क्षमता केंद्र) विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर विस्थापित कार्यबल को समायोजित नहीं कर सकते।
- **वैश्विक निर्भरताएँ और कमज़ोरियाँ:** भारत की आईटी कंपनियाँ निर्यात बाज़ारों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप पर अत्यधिक निर्भर हैं।
  - वैश्विक मंदी, मुद्रास्फीति और विदेशों में तकनीकी बजट में कटौती भारत में नियुक्तियों एवं परियोजनाओं की संख्या को सीधे प्रभावित करती है।
  - एच-1बी वीज़ा धारकों को लंबे प्रतीक्षा समय और सीमित विकल्प के साथ अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ता है।
- **पारदर्शिता और निष्पक्षता:** आलोचकों का तर्क है कि नीतियों में सहानुभूति की कमी है और ये नए एवं मध्य-करियर पेशेवरों को असमान रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

आगे की राह

- **सहानुभूति और तत्परता के साथ बेंच नीति की पुनर्कल्पना:** कठोर सीमाओं (जैसे, टीसीएस का 35-दिवसीय नियम) के बजाय, कंपनियाँ अनुभव और कौशल प्रासंगिकता के आधार पर स्तरीय बेंच अवधि अपना सकती हैं।
- **स्केलेबल अपस्किलिंग में निवेश:** जेनएआई, साइबर सुरक्षा, क्लाउड और फुल-स्टैक डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करें।
  - विस्थापित श्रमिकों के प्रशिक्षण को सब्सिडी देने के लिए सरकार एवं एडटेक फर्मों के साथ सहयोग करें।
  - महत्वपूर्ण तकनीकी प्रमाणपत्र पूरा करने वाले कर्मचारियों को बोनस या त्वरित पदोन्नति प्रदान करें।
- **श्रम सुरक्षा और नीति सुधार को मज़बूत करना:** एनआईटीईएस और एफआईटीई जैसी आईटी यूनियनें सरकार से आईटी फर्मों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लाने का आग्रह कर रही हैं, ताकि बर्खास्तगी में उचित प्रक्रिया सुनिश्चित हो, साथ ही शिकायत निवारण तंत्र एवं नीति संवाद भी सुनिश्चित हो।
- **रोज़गार के रास्तों में विविधता:** वैश्विक क्षमता केंद्र और तकनीकी स्टार्टअप वैकल्पिक रोज़गार सृजनकर्ता के रूप में उभर रहे हैं।
  - मानव-केंद्रित तकनीकी परिवर्तन को अपनाना:
- **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** परिवर्तन के दौरान परामर्श और कल्याण कार्यक्रम प्रदान करें।
- **नैतिक एआई परिनियोजन:** सुनिश्चित करें कि एआई अपनाने से सुरक्षा जाल के बिना असुरक्षित भूमिकाएँ अनुपातहीन रूप से विस्थापित न हों।
  - **समावेशी विकास:** टियर-II एवं टियर-III शहरों में रोज़गार समानता को प्राथमिकता दें।

Source: LM

संक्षिप्त समाचार

मेवाड़ के भीलों का गवरी उत्सव

संदर्भ

- गवरी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के भील समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला 40-दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान और लोक उत्सव है।

गवरी उत्सव के बारे में

- यह उत्सव आमतौर पर हिंदू माह श्रावण और भाद्रपद (जुलाई से सितंबर) के दौरान मनाया जाता है, जो मानसून एवं फसल के मौसम के साथ सामंजस्यपूर्ण हैं।
- यह अनुष्ठान मुख्य रूप से भील जनजाति के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो देवी-देवताओं, राक्षसों और अन्य पौराणिक पात्रों सहित विभिन्न भूमिकाएँ निभाते हैं।
- यह नाटक देवी गौरी से संबंधित पौराणिक कथाओं, अच्छाई एवं बुराई के बीच युद्ध का मंचन करता है।

भील समुदाय के बारे में

- भील भारत के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक हैं, जो मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में केंद्रित हैं।
- उनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है, जिसमें उनके अद्वितीय रीति-रिवाज, भाषा (भीली) और पारंपरिक प्रथाएँ प्रकृति एवं हिंदू धर्म से मिश्रित जीववादी मान्यताओं से निकटता से जुड़ी हैं।
- भील स्वयं को भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती (गौरी) का वंशज मानते हैं।

Source: IE

पैठणी साड़ियाँ

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में पैठणी साड़ियों की पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की।

पैठणी साड़ियों के बारे में

- **उत्पत्ति और इतिहास:** पैठणी साड़ियों की उत्पत्ति 2000 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित पैठण नामक कस्बे में हुई थी।
  - बुनाई की परंपरा का पता सातवाहन वंश (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) से लगाया जा सकता है।
- **शाही संरक्षण:** पैठणी साड़ियाँ सातवाहन, पुणे के पेशवा, हैदराबाद के निज़ाम और मुगल शासकों सहित राजघरानों एवं कुलीन वर्ग के लिए बुनी तथा पहनी जाती थीं।
- **सामग्री और शिल्पकला:** पारंपरिक रूप से शुद्ध सोने और चांदी की ज़री (धातु के धागे) के साथ महीन रेशम से बनी, पैठणी साड़ियाँ टेपेस्ट्री बुनाई तकनीक का उपयोग करके हाथ से बुनी जाती हैं। ये अपने जटिल पुष्प एवं मोर के रूपांकनों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- **जीआई टैगिंग:** पैठणी साड़ियों को 2010 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है।

Source: AIR

माजुली द्वीप

संदर्भ

- असम के माजुली स्थित पथोरिचुक गाँव के स्थानीय लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर कंचन के पेड़ लगाकर नदी के कटाव को रोक रहे हैं।

माजुली द्वीप के बारे में

- माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
- यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और 2016 में भारत का प्रथम नदी द्वीप ज़िला बना।
- यह द्वीप निम्नलिखित से घिरा है:
  - **उत्तर-पश्चिम:** सुबनसिरी नदी और उसकी सहायक नदियाँ रंगनदी, डिक्रोंग, डबला, चिची एवं तुनी आदि।
  - **उत्तर-पूर्व:** खेरकाटिया सुली (ब्रह्मपुत्र का एक स्पिल चैनल)
  - **दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम:** मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी
- माजुली मिसिंग, देवरी एवं सोनोवाल कछारी जैसी स्थानीय जनजातियों का घर है और यह असमिया नव-वैष्णव संस्कृति का केंद्र है।

क्या आप जानते हैं?

- असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र में स्थित उमानंद द्वीप, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। अंग्रेजों ने इसके आकार के कारण इसे मयूर द्वीप कहा था।

Source: TOI

नून नदी

समाचार में

- नून नदी का पुनरुद्धार समुदाय द्वारा संचालित गाद हटाने के प्रयासों के माध्यम से किया जा रहा है।

नून नदी

- नून नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के कोच विकास खंड के अंतर्गत आने वाले सताह गाँव से होता है।
- नदी के पुनरुद्धार का उद्देश्य कृषि भूमि के जलमग्न होने और जल की कमी को दूर करना है।
- सामुदायिक भागीदारी और प्रशासनिक सहयोग से नदी के एक बड़े हिस्से का पुनरुद्धार किया जा चुका है।
- इससे हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और कई गाँवों के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि करने की क्षमता है।

Source: IE

मेरा गांव मेरा धरोहर कार्यक्रम

समाचार में

- अब तक 4.7 लाख से अधिक गाँवों का मानचित्रण किया जा चुका है, और उनके सांस्कृतिक पोर्टफोलियो मेरा गाँव मेरा धरोहर वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम

- **विषय:** राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) के अंतर्गत जून 2023 में शुरू किया गया।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए)।
- **उद्देश्य:** भारत भर के सभी 6.5 लाख गाँवों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मानचित्रण, दस्तावेज़ीकरण एवं डिजिटल रूप से संरक्षण करना, और प्रत्येक गाँव के लिए एक व्यापक सांस्कृतिक पोर्टफोलियो प्रदान करना।
- **विषयगत श्रेणियाँ:** शिल्प, पारिस्थितिकी, इतिहास, महाकाव्य, वास्तुकला सहित 7 मुख्य प्रकार।
- **महत्व:** विरासत संरक्षण, ग्रामीण विकास, समावेशी दस्तावेज़ीकरण।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) के बारे में

- यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2017 में भारत की विशाल और विविध सांस्कृतिक विरासत का व्यापक रूप से दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए शुरू किया गया था - विशेष रूप से ग्राम स्तर पर।
- **प्रमुख घटक:**
  - **मेरा गाँव मेरी धरोहर (एमजीएमडी):** गाँव-वार अमूर्त और मूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों का मानचित्रण और दस्तावेज़ीकरण।
  - **सांस्कृतिक प्रतिभा खोज:** प्रतिभा खोज अभियान, लोक/आदिवासी कला का पुनरोद्धार और सांस्कृतिक जागरूकता।
  - **राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (एनसीडब्ल्यूपी):** कलाकारों, कला प्रथाओं का डेटाबेस बनाने और एक सांस्कृतिक सेवा मंच के रूप में कार्य करने के लिए एक वेब प्लेटफ़ॉर्म एवं मोबाइल ऐप।

Source: PIB

संशोधित शक्ति नीति 2025

संदर्भ

- हाल ही में, सरकार ने संशोधित शक्ति नीति 2025 का अनावरण किया है - जो भारत में कोयला (कोयला) के पारदर्शी दोहन और आवंटन की योजना का एक परिवर्तनकारी अद्यतन है।

शक्ति नीति के बारे में

- यह भारत का प्रमुख ढाँचा है, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 2017 में बिजली क्षेत्र को पारदर्शी कोयला आवंटन के लिए शुरू किया गया था।
- इसने कोयला वितरण में निष्पक्षता, दक्षता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पूर्ववर्ती आश्वासन पत्र (LoA)-ईंधन आपूर्ति समझौता (FSA) व्यवस्था (नामांकन-आधारित प्रणाली) को एक अधिक संरचित, नीलामी-आधारित प्रणाली से प्रतिस्थापित किया।

- संशोधित शक्ति नीति 2025 कोयला आवंटन के लिए विंडो I और II प्रस्तुत करती है:
  - **विंडो-I (अधिसूचित मूल्य पर कोयला):** निश्चित अधिसूचित मूल्यों पर आपूर्ति किया गया कोयला केंद्रीय एवं राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों सहित सरकारी स्वामित्व वाले ताप विद्युत संयंत्रों को आवंटित किया जाता है।
  - **विंडो-II (अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर कोयला):** कोई भी घरेलू कोयला-आधारित बिजली उत्पादक, जिसमें स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) और आयातित कोयला-आधारित बिजली संयंत्र शामिल हैं, अल्पकालिक (12 महीने तक) से लेकर दीर्घकालिक अनुबंधों (25 वर्ष तक) तक की अवधि के लिए अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर नीलामी के माध्यम से कोयले के लिए बोली लगा सकते हैं।

कोयला क्षेत्र में अन्य सुधार

- कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत 2020 में नीलामी के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन निजी संस्थाओं के लिए खोल दिया गया था।
- कोयला खनन और संबंधित गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।
- ऑनलाइन कोयला व्यापार, समाशोधन और निपटान के लिए एक कोयला व्यापार एक्सचेंज (सीटीई) स्थापित करने हेतु मसौदा कानून पर कार्य प्रगति पर है, जिससे बाजार दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
- 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखते हुए, रसायन, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और उर्वरकों के उत्पादन के लिए कोयला गैसीकरण जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सभी बिक्री चैनलों से कीमतों को प्रतिबिंबित करने और उचित मूल्य निर्धारण को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई) की शुरूआत।

Source: PIB

भारत का प्रथम पीपीपी हवाई अड्डा भविष्य की योजनाओं पर आधारित

संदर्भ

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत स्थापित प्रथम भारतीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीआईएएल), हरित ऊर्जा, स्मार्ट तकनीक और एकीकृत विकास पर केंद्रित एक बड़े विस्तार अभियान की शुरुआत कर रहा है।

कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (सीआईएएल) के बारे में

- यह केरल के कोच्चि के पास नेदुम्बस्सेरी में स्थित है और दक्षिण भारत के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, और अंतर्राष्ट्रीय माल एवं यात्री यातायात का केंद्र बनने की स्थिति में है।
  - यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है, जिससे 250 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पन्न होती है, जिससे 160,000 मीट्रिक टन CO_2 उत्सर्जन से बचने में सहायता मिली है।
- यह विश्व का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है, जो अपने संचालन को वैश्विक कार्बन तटस्थता लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है।
- सीआईएएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ साझेदारी में विश्व का प्रथम हवाई अड्डा-आधारित हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र बना रहा है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 तक होना है।

Source: TH

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में घास के मैदानों में पक्षियों की गणना

समाचार में

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम चरागाह पक्षी गणना 18 मार्च से 25 मई, 2025 के बीच आयोजित की गई, जिसमें वन अधिकारी, वैज्ञानिक और संरक्षणवादी शामिल थे।

- काजीरंगा असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ विश्व भर में भारतीय एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी जनसंख्या पाई जाती है।

गणना के मुख्य बिंदु

- **पद्धति:** पारंपरिक पक्षी गणना विधियाँ कई छोटे, छद्म घास के मैदानी पक्षियों के लिए अप्रभावी हैं। प्रजातियों की पहचान के लिए स्पेक्ट्रोग्राम और बर्डनेट नामक मशीन लर्निंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया गया।
- **सर्वेक्षित प्रजातियाँ:** सर्वेक्षण में 10 प्राथमिकता वाली प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो या तो ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में स्थानिक हैं या वैश्विक रूप से संकटग्रस्त हैं, इनमें बंगाल फ्लोरिकन, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, फिन्स वीवर और ब्लैक-ब्रेस्टेड पैरटबिल शामिल हैं। लुप्तप्राय फिन्स वीवर के 85 से अधिक घोंसलों की एक प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई।
- **पारिस्थितिक महत्व:** चरागाह पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के सूचक हैं। उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि आवास संतुलित और समृद्ध हैं। यह जनगणना अधिकारियों को जैव विविधता की स्थिति को समझने एवं लक्षित संरक्षण रणनीतियों की योजना बनाने में सहायता करती है।

Source: IE

पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025

संदर्भ

- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 प्रस्तुत किए हैं।

पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025

- इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत रासायनिक रूप से दूषित स्थलों को कानूनी रूप से संबोधित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।
  - ये स्थल, जो प्रायः लैंडफिल या रासायनिक भंडारण क्षेत्र होते हैं, अतीत में अनियमित खतरनाक अपशिष्ट डंपिंग के कारण प्रदूषित थे।
- **विशेषताएँ:** जिला प्रशासन को "संदेहास्पद दूषित स्थलों" पर अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या नामित संदर्भ संगठन 90 दिनों के अंदर प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा।
  - संदूषण की पुष्टि के लिए आगामी 90 दिनों के अंदर एक विस्तृत सर्वेक्षण पूरा करें।
  - विशेषज्ञ निकायों द्वारा एक सुधार योजना विकसित की जाएगी।
- प्रदूषणकर्ता को वित्तीय रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा; यदि वे भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो केंद्र और राज्य सफाई लागत वहन करेंगे।
- आपराधिक दायित्व, यदि सिद्ध हो जाता है (विशेषकर मृत्यु या क्षति के मामलों में), भारतीय न्याय संहिता (2023) के तहत निपटा जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए बनाया गया था, जिससे केंद्र सरकार को प्रदूषण निवारण और क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान हेतु निकाय स्थापित करने का अधिकार मिला।
- 2023 में, जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत इसके दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया ताकि अपराधों को अपराधमुक्त और सुव्यवस्थित किया जा सके, जिसका उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देना और जीवन और व्यवसाय को आसान बनाना है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले इस बात पर बल दिया था कि नागरिकों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का मौलिक अधिकार है।

Source :TH

ऑपरेशन महादेव

समाचार में

- ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत, भारतीय सुरक्षा बलों ने हाल ही में हुए पहलगाम हमले से जुड़े तीन आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया है।

परिचय

- यह भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया एक आतंकवाद-रोधी अभियान है।
- यह अभियान जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास, दारा और हरवान के पास लिडवास क्षेत्रों में चलाया गया।
- यह सीमा पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संकल्प को सुदृढ़ करेगा और ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही परिचर्चा के बीच सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाएगा।

Source: TOI

FIDE महिला विश्व कप 2025

समाचार में

- दिव्या देशमुख फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनीं, उन्होंने जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित 2025 के फाइनल में अनुभवी हमवतन कोनेरू हम्पी को हराया।

परिचय

- FIDE महिला विश्व कप सामान्यतः प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित किया जाता है।
- FIDE 2025 महिला शतरंज विश्व कप का तीसरा संस्करण था और इसमें 46 महासंघों की 107 खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
- इस टूर्नामेंट में एकल-उन्मूलन (नॉकआउट) प्रारूप का उपयोग किया जाता है। मैच हारने पर खिलाड़ी सीधे बाहर हो जाते हैं।
- प्रत्येक राउंड में मैच संरचना:
  - **क्लासिकल खेल:** प्रत्येक मैच दो क्लासिकल समय नियंत्रण खेलों से शुरू होता है, जो दो दिनों तक खेले जाते हैं। खिलाड़ियों को सामान्यतः पहले 40 चालों के लिए 90 मिनट, शेष खेल के लिए अतिरिक्त 30 मिनट और पहली चाल से प्रत्येक चाल के लिए 30 सेकंड की वृद्धि दी जाती है।
  - **टाई-ब्रेक (यदि आवश्यक हो):** यदि क्लासिकल खेल बराबरी पर हों, तो तीसरे दिन टाई-ब्रेक खेल खेले जाते हैं, जिनमें क्रमशः कम समय नियंत्रण होते हैं:
    - **प्रथम टाई-ब्रेकर:** दो रैपिड खेल (उदाहरण के लिए, 15 मिनट + प्रति चाल 10 सेकंड की वृद्धि)।
    - **द्वितीय टाई-ब्रेकर (यदि अभी भी बराबरी पर है):** दो तेज़ रैपिड गेम (उदाहरण के लिए, 10 मिनट + 10 सेकंड की वृद्धि)।
    - **ब्लिट्ज़ गेम (यदि अभी भी बराबरी पर है):** दो ब्लिट्ज़ गेम (उदाहरण के लिए, 5 मिनट + 3 सेकंड की वृद्धि)।
    - **आर्मगेडन गेम (यदि अभी भी बराबरी पर है):** एक अंतिम, उच्च दबाव वाला निर्णायक गेम जिसमें सफ़ेद पक्ष को अधिक समय मिलता है (उदाहरण के लिए, 3 मिनट) लेकिन अगर खेल ड्रॉ होता है (उदाहरण के लिए, 2 मिनट, चाल 61 से 2 सेकंड की वृद्धि के साथ) तो काला पक्ष जीत जाता है।
- **उम्मीदवारों के लिए योग्यता:** महिला विश्व कप में शीर्ष तीन स्थान प्राप्त करने वाली टीमें सामान्यतः आगामी महिला उम्मीदवार टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्राप्त करती हैं।

Source: IE

सुनहरे सियार

संदर्भ

- गैर सरकारी संगठन अरण्यकम नेचर फाउंडेशन द्वारा किए गए शोध का अनुमान है कि केरल में 20,000-30,000 स्वर्ण सियार हैं।

गोल्डन जैकाल (कैनिस ऑरियस) के बारे में

- **रूप-रंग:** इसे सामान्य सियार भी कहा जाता है, यह भेड़िये से छोटा लेकिन लोमड़ी से बड़ा होता है। इसका रंग सुनहरे से हल्के सुनहरे या भूरे रंग का होता है, जो मौसम और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है।
- **व्यवहार:** मुख्यतः रात्रिचर, अधिकतर रात में सक्रिय।
- **आवास और वितरण:** यूरोप, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है।
  - भारत में, सुनहरे सियार केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में पाए जाते हैं।
- **आहार:** सर्वाहारी, ये छोटे स्तनधारियों, कीड़ों, खरगोशों, मछलियों, पक्षियों और फलों को खाते हैं और प्रायः इनकी खोज में मानव आवासों में प्रवेश करते हैं।
- **कानूनी संरक्षण:**
  - **IUCN लाल सूची:** कम चिंताजनक
  - उद्धरण: परिशिष्ट III

Source: TH